

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे सविधा हो।



गाम : यूनीवर्सिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail :
jureg_gwl@rediffmail.com
Website :
http://www.jiwaji.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/1374

दिनांक : 26-02-14

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 04 जनवरी, 2014 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार के.एस. कॉलेज मुरैना को सत्र 2013-14 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष (आ.पा., इतिहास, राजनीतिशास्त्र, हिन्दी) अति.विषय-(समाजशास्त्र), बी.एस.-सी. तृतीय वर्ष (आ.पा. भौतिकी, गणित, रसायन,) अति.विषय- (प्राणिकी, वनस्पति,) बी.कॉम. तृतीय वर्ष, बी.एस.-सी. द्वितीय वर्ष अतिरिक्त विषय (कम्प्यूटर साइंस), बी.कॉम. द्वितीय वर्ष अतिरिक्त विषय (कम्प्यूटर एप्लीकेशन) पाठ्यक्रम/कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय परिनियम 28 के अंतर्गत प्राचार्य, शिक्षकों (विषयवार) एवं गैरशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति 60 दिवस के भीतर आवश्यक रूप से करें।
2. 50 हजार रुपये की पुस्तकें क्रय की जावें।
3. प्रयोगशालाओं के लिये रुपये 50,000/- के उपकरण/सामग्री क्रय किये जावे।
4. पुस्तकालय को ठीक प्रकार से व्यवस्थित किया जावे।
5. 05 कम्प्यूटर क्रय किये जावें। (पी.-4)
6. चार अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण छः माह में कर लिया जावे।
7. परिनियम 27, 28 का पालन सुनिश्चित किया जावे।

नोट - महाविद्यालय द्वारा 60 दिवस के भीतर शिक्षकों को प्राचार्य एवं गैरशैक्षणिक स्टाफ की नियुक्तियाँ आवश्यक रूप से करनी हैं। इस आशय का शपथ पत्र महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में प्रस्तुत किया जावे। यदि निर्धारित अवधि महाविद्यालय द्वारा परिनियम 28 के अंतर्गत नियुक्तियाँ नहीं की जाती हैं और चार अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण नहीं कराया जाता है तो महाविद्यालय की सत्र 2014-15 की सम्बद्धता पर विश्वविद्यालय द्वारा विचार न किया जावे।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, के.एस. कॉलेज मुरैना ।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)